1

Schelule XLII – High Court (J) 9a [Old (M) 164.]

Schelule XLII – High Court (J) 9a [Old (M) 164.]					
Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office notice take with date		
1	2	3	4		
		न्यायालय–अपर न्यायायुक्त पंचम्, रांची।			
		आपराधिक आवेदन संख्या—144 / 2020			
		राम सेन सिंह, पिता—स्व0 राम अवध सिंह, निवासी— क्वार्टर नं0—डी.टी. 1356, थाना—धुर्वा,			
	22.08.2020	जिला-रांची			
		बनाम			
		झारखण्ड राज्य।			
		आवेदक की ओर से दाखिल आपराधिक आवेदन पर उभय पक्षों को वीडियो			
		कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना ।			
		आवेदक, के विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से प्रविष्ट उक्त आवेदन को			
		प्रचालित करते हुए कथन किये हैं कि आवेदक की ओर से ए.बी.पी. नंबर 498/2020			
		दाखिल किया गया था। जो दिनांक 14.07.2020 पारित आदेश द्वारा स्वीकृत हुआ और			
		आवेदक को गिरफ्तार किये जाने पर या पंद्रह दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने पर अवर			
		न्यायालय की संतुष्टि पर दं०प्र०सं० की धारा 438(2) में वर्णित शर्तों के तहत दस हजार			
		रुपये की जमानत तथा समान राशि के दो प्रतिभू सहित जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर			
		जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया गया है। लेकिन रांची बार एसोसिएशन के द्वारा कोविड			
		19 के तीव्र संक्रमण को देखते हुए दिनांक 20.07.2020 से 03.08.2020 तक अधिवक्ता द्वारा			
		न्यायिक कार्य न करने का निर्णय लिया गया। जिसके चलते आवेदक ए.बी.पी. नंबर			
		498 / 2020 में दिनांक 14.07.2020 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं कर सका। अतः			
		उक्त परिस्थितियों को देखते हुए ए.बी.पी. नंबर 498/2020 दिनांक 14.07.2020 को पारित			
		आदेश के आलोक में आवेदक को अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए कम से कम दो			
		सप्ताह का समय दिया जाय।			
		दूसरी तरफ विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया।			
		सुना, ए.बी.पी. नंबर 498/2020 दिनांक 14.07.2020 को पारित आदेश का			
		अवलोकन किया। उक्त आदेश के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त राम सेन सिंह को			
		गिरफ्तार किये जाने पर या पंद्रह दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने पर अवर न्यायालय की			
		संतुष्टि पर दं०प्र०सं० की धारा ४३८(२) में वर्णित शर्तों के तहत दस हजार रुपये की जमानत			

आपराधिक विविध आवेदन संख्या-144/2020 **CNR JHR N010046602020**

<u>2</u>				
Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office notice tak with date	
	लगतार	तथा समान राशि के दो प्रतिभू सहित जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने		
	22.08.2020	का आदेश दिया गया है।		
		वाद के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस राय का		
		हूं कि आवेदक की ओर से प्रविष्ट उक्त आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है। तद्नुसार		
		आवेदक / अभियुक्त राम सेन सिंह को गिरफ्तार किये जाने पर या पंद्रह दिनों के अंदर		
		आत्मसमर्पण करने पर अवर न्यायालय की संतुष्टि पर दं०प्र०सं० की धारा 438(2) में वर्णित		
		शर्तों के तहत दस हजार रुपये की जमानत तथा समान राशि के दो प्रतिभू सहित जमानत		
		बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।		
		लेखापित		
		ह0 ∕ −		
		(मार्तण्ड प्रताप मिश्रा)		
		अपर न्यायायुक्त—पंचम्,		
		रांची।		